भारतीय चुनाव यंत्रों(EVM) में धांधली हो सकती है

भारत के चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि इ.वी.एम(EVM), यानी कि चुनाव यन्त्र छेड़छाड़ रहित है.
पर इस विडियो में कंप्यूटर सुरक्षा जानकार बतातें हैं कि कैसे चुनाव यन्त्र से छेड़छाड़ करके वोट चुराए जा सकते हैं और चुनाव का परिणाम बदला जा सकता है.

ऐसा लग सकता है कि यह छेड़छाड़ इतनी आसानी से शायद ना हो पाए, पर वास्तव में काफी आसान है. इतना आसान कि शायद आपको देश में लाखों लोग मिल जायें, जो इस करतूत को परिणाम दे सकते हैं.

मान लो कि मत देने के लिए आप जाते हैं और आपको एक मत-पत्र दिया जाता है.आप अपना मत डालने एक परदे वाली कुटिया के पास जाते हैं, और परदे के पीछे से कोई आपका मत-पत्र छीन कर फाड़ देता है, और आपको कहा जाता है कि अब आपका मत दर्ज हो गया है.

जब चुनाव प्रक्रिया का अंत आता है, तो परदे के पीछे का इंसान चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठा पकड़ाता है जिस में वो कहता है कि उसने इमानदारी से मत की गणना की है,ऐसा दावा करता है.

चुनाव यन्त्र यह परदे के पीछे के इंसान से अधिक इमानदार नहीं हैं.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस देश में एक दशक से अधिक चुनाव यन्त्र से ही मतदान किया गया है .

चुनाव यन्त्र के दो हिस्से हैं- एक है कण्ट्रोल यूनिट(इकाई) और दूसरा बैलट(मत) यूनिट. कण्ट्रोल यूनिट(इकाई) का चुनाव अधिकारी और बैलट(मत) यूनिट का चुनाव कार्यकर्ता प्रयोजन करते हैं.

बैलट(मत) यूनिट पर सभी उमीदवार के नाम होते हैं, और एक नाम चुनने पर उस उमीदवार को मत मिल जाता है.

चलिए हम एक मत दर्ज करने का परिक्षण करें इस चुनावी यन्त्र से.
जैसे ही मत-दाता मत डालने आता है, तो कण्ट्रोल यूनिट(इकाई) से ये बटन दबा कर एक वोट डालने की अनुमति दी जाती है. फिर मत-दाता बैलट(मत) यूनिट पर बटन दबा अपना मत दर्ज करते हैं.

मान लें कुल पांच उमीदवार हैं. तो चलिए हम पंद्रह मत-दाता के हिसाब से हर उमीदवार को तीन वोट देते हैं.

बाद में मत-गणना के समय जब मत गिने जाते हैं तो एक उमीदवार के सात वोट दर्शाये गए. ये तो कुछ गलत है.ये तीन होने चाहिए थे क्योंकि हमने सारे उमीदवार को गिन कर तीन वोट ही दिए थे!

किसी प्रकार से दूसरे उमीदवारों से एक-एक वोट की चोरी की गयी है.

अब हम इस यन्त्र को खोल कर दिखायेंगे की हमने कैसे इससे छेड़छाड़ की है.

भारतीय चुनाव आयोग ने किसी भी मत-दाता को चुनाव मशीन खोल कर जाँच करने की अनुमति नहीं दी है. इस यन्त्र में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, और हर कंप्यूटर की तरह इसमें भी एक प्रोसेसर और मेमोरी होती है. प्रोसेसर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो कंप्यूटर के लिए गणित करता है, और मेमोरी कंप्यूटर का वो हिस्सा है जोकि गिनती के परिणाम याद रखता है.

इस यन्त्र को चार तरीके से छेड़छाड़ किया जा सकता है. यह है पहला:
1. बेईमान प्रदर्शन

हमने यन्त्र में छेड़छाड़ उसके प्रदर्शन के साथ की है. ये गलत मत-गणना दिखाता है.

जैसे आप देख सकते हैं, हमने अपना नकली प्रदर्शन तद्रूप असली वाले प्रदर्शन जैसा ही बनाया है.

और कुछ ही रुपयों में दो सप्ताह में बन कर तैयार हो जाता है ऐसा बहरूपिया प्रदर्शन(डिस्प्ले). हमने इस प्रदर्शन के नीचे एक नन्हा यन्त्र छुपाया है, जो गलत मत-गणना दिखता है, और एक ब्लू टूथ यन्त्र, जिसको हम भीतर संकेत भेज सकतें हैं की कौन जीते . बेईमान उमीदवार ये सारी छेड़छाड़ चुनाव के पहले कभी भी महीनों,सालों पहले भी कर सकता है.

दूसरा तरीका:
2. कंप्यूटर की मेमोरी(याद्कोश) से छेड़छाड़
अपराधी इस छेड़छाड़ को चुनाव घोषित होने के और चुनाव वाले दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं.

इसको साबित करने के लिए हमने एक छोटा सा यन्त्र बनाया है जिस में ये चक्र घुमाने पर हम जो चाहें उस उमीदवार को जीता सकते हैं . इस छोटे से यन्त्र को कंप्यूटर की मेमोरी से कुछ ही पल के लिए लगा दिया जाता है, और ये यन्त्र कंप्यूटर की मेमोरी में याद रखे गए उमीदवारों के आंकड़ों को पलक झपकते ही बदल देता है. ये छेड़छाड़ कोई निशान नहीं छोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि हमारा वाला उमीदवार जीत जाए.

तीसरा तरीका:
3. कंप्यूटर की गुप्त प्रोग्राम से छेड़छाड़
कंप्यूटर में जो चिप पर मत-गणना का प्रोग्राम रखा जाता है, उस को कोई ना ही पढ़ सकता है और

ना ही उसका अध्ययन कर सकता है. यहाँ तक की चुनाव आयोग वाले भी उस प्रोग्राम को खोल कर देख नहीं सकते हैं. अब अगर कोई अपराधी एक बहरूपिया चिप बना कर मशीन में डाल दे, तो कोई भी जांच कर बता नहीं कर सकता.

आश्चर्य की बात तो यह है की भारत के चुनाव आयोग को ऐसे नियमो से कोई आपत्ति नहीं है. और ऊपर से ये कहता है की सॉफ्टवेर की जांच नहीं हो पाने के कारण ही यन्त्र की सुरक्षा बढती है.

चुनाव आयोग के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, आचार्य पी.वी.इन्दिरेसन, कहते हैं:
प्रोग्राम जाम है,उसको कोई पढ़ नहीं सकता . BEL और ECIL, जो ये चिप बनाते हैं, वो भी इस प्रोग्राम कोड को पढ़ नहीं सकते.

याद करें, परदे के पीछे वाला व्यक्ति. क्या यदि जो प्रोग्राम कोड जिसको हम पढ़ नहीं सकते वो बेईमान हो ?

चौथा तरीका:
4. चुनावी यन्त्र की अपर्याप्त सुरक्षा-
चुनाव के प्रारंभ होने से पहले एक कृत्रिम मत-गणना जांचना होती है ये पता करने के लिए की यन्त्र ठीक से काम कर रहे हैं की नहीं.

लेकिन ये बहुत आसान कार्य है, चुनाव यन्त्र को प्रोग्राम करना की सैंकड़ों मत दर्ज होने के बाद ही वो मतगणना में बेईमानी करे . नकली चुनाव के दौरान सब कुछ सामान्य प्रतीत होगा परन्तु वास्तविक परिणाम बेईमान होंगे.

दूसरी बात यह है की चुनाव आयोग बड़े ही साधारण मोहर और ठप्पों के साथ इन यंत्रो का सुरक्षा प्रमाण पत्र देते हैं. इन के साथ बड़ी आसानी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. वैज्ञानिकों को ऐसे मोहर या ठप्पों का आविष्कार नहीं कर पाए हैं जिस से छेड़छाड़ नहीं किया जा सके यहाँ तक की परमाणु अड्डो के लिए उपयोग किये गए मोहर और ठप्पे बहुत ही कमजोर सुरक्षा हैं.

ये भी कहा जाता है की उमीदवार के क्रम पहले से नहीं निर्धारित किये जाते. ऐसा माना जाता है की इससे छेड़छाड़ करने को ज्यादा समय नहीं मिलता बेईमानों को. पर अगर हमने ब्लू टूथ यन्त्र भीतर छिपाया है, तो हम मोबाइल फ़ोन के एक ख़ास प्रोग्राम से
चुनाव यन्त्र को संकेत भेज कर हमारे उमीदवार को जीता सकते हैं!

हमने आपको कई तरीके दिखाए वास्तविक परिस्थितियों में असली चुनाव यन्त्र से छेड़छाड़ कर के मत चुराने के.

हम मानते हैं की हमने साबित कर दिया है की भारत में प्रयोग किये जाने वाले चुनाव यन्त्र की छेड़छाड़ से मत चोरी करना आसान है.

बिना कागज़ की प्रणालियों स्वाभाविक रूप से पारदर्शी नहीं हैं और असुरक्षित हैं. इनपर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, आयेरलैंड, नैदरलैंड और जेर्मनी आदि ने रोक लगा दी है. इन देशों की राह पर चलने में ही समझदारी होगी भारत के लिए.

अधिक जानकारी के लिए indiaEVM.org लिंक पर जाएँ.